**भारत सरकार**

**पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1467**

**दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

पक्के शौचालयों की उपलब्धता

**1467. श्री इलामारम करीमः**

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हमारे देश में कितनी प्रतिशत जनता के पास पक्के शौचालय की सुलभता है;
(ख) वर्ष 2014 के बाद से कितने घरों में शौचालयों की सुविधा प्रदान की गई;
(ग) वर्ष 2014 के बाद से देश में कितने जन सुविधा केन्द्र निर्मित किए गए;
(घ) शौचालयों के उपयोग के संबंध में ग्रामीण परिवारों में जागरुकता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) वर्ष 2014 के बाद से निर्मित कितने शौचालय वर्तमान में उपयोग योग्य हैं?

**उत्तर**

**राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**

**(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)**

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 20.12.2018 की स्थिति के अनुसार देश में 97.64% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालयों तक पहुंच है।

(ख) एसबीएम(जी) के अंतर्गत, दिनांक 20.12.2018 की स्थिति तक 8,99,15,014 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

(ग) एसबीएम(जी) के अंतर्गत, दिनांक 20.12.2018 की स्थिति तक देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 19,130 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है।

(घ) स्वच्छता मुख्यत: व्यवहार का मुद्दा है। इसमें खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने और सुरक्षित स्वच्छता आदतों को अपनाने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना शामिल है।

एसबीएम (जी) के अंतर्गत, स्वच्छता के लिए सबसे पसंदीदा दृष्टिकोण सामुदायिक दृष्टिकोण (सीएएस) है जिसमें संपूर्ण समुदाय को प्रेरित करने और जागरूकता सृजन पर बल देने के साथ समेकित व्यवहार परिवर्तन प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। कार्यक्रम निधियों का 5 प्रतिशत तक का व्यय राज्य एवं जिला स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) और क्षमता संवर्धन गतिविधियों पर किया जा सकता है और 3 प्रतिशत तक का उपयोग केंद्रीय स्तर पर किया जा सकता है। श्रव्य दृश्य (टीवी) और श्रव्य (रेडियो) उपकरणों का उपयोग करके राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मीडिया अभियान शुरू किया गया है। राज्य, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण (आईपीसी) सहित आईईसी अभियान भी चला रहे हैं। नियमित अंतरालों पर सफाई मुहिम और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। गांवों में लोगों द्वारा शौचालय के उपयोग और उन्हें खुले में शौच करने से रोकने के लिए निगरानी समितियां बनाई गई हैं। शौचालयों की निगरानी तथा उसका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा सुबह के फोलो अप सहित नियमित क्षेत्र दौरे किए जाते हैं। पारम्परिक आईईसी उपकरणों के अलावा, जन जागरूकता फैलाने के लिए सामाजिक मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार और सभी राज्यों के अधिकारियों को शामिल करके स्वच्छ भारत व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया गया है। इसी तरह के ग्रुप अलग-अलग राज्यों के लिए बनाए गए हैं। एसबीएम (जी) का एक फेसबुक पेज बनाया गया है और ट्विटर हैंडल भी सक्रिय हैं। मीडिया के प्रसिद्ध व्यक्तियों को इसका ब्रैंड ऐम्बैसडर बनाया गया है।

(ड़) एसबीएम-जी के विश्व बैंक सहायता परियोजना के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) और स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) द्वारा किए गए तीसरे पक्ष के स्वतंत्र सर्वेक्षण द्वारा शौचालयों का उपयोग निरंतर रूप से 90% से अधिक दर्शाया गया है।